रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-04112026-277670
CG-TL-E-04112026-277670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5711] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31, 2026/कार्तिक 9, 1948
No. 5711] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 2026/KARTIKA 9, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 21 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5943(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम,1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-||, खंड 3, उप-खंड (ii), (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), तारीख 21 अकतूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, का. आ. संख्या 4856 (अ), तारीख 21 अकतूबर 2025 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपावध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमी को, महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात "**परली – परभणी दोहरिकरण परियोजना**" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात **"लोकमत", "लोकमत टाइम्स"** और **"दैनिक भास्कर"** में तारीख **29 नवंबर 2025** को प्रकाशित किया गया था;

और, परभणी गांव में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूपसे निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले के परभणी गांव मे उप. विभागीय अधिकारी और भूमी अधिग्रहण के लीए सक्षम प्राधिकारी, परभणी के अधीन भूमी अधिग्रहण हेतु, "परळी – परभणी दुहेरीकरण" परियोजना.

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना " परळी – परभणी दुहेरीकरण परियोजना" के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमी का संरचनओं सहित या ऊनके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	भूमि अधिग्रहण मामला सं.	7/12 अनुसार भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली क्षेत्र	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हेक्टर में	अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टर में	संपति			
							कुआं / बोर	निर्माण	वृक्ष	अभ्युक्ति
1	जा. क्र. 2025 /भूसंपादन /रेल्वे/दु/कावी-563	कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी	331	1	2.0400	0.0350	-	-	-	-
2		कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी	362	सरकार	2.7700	0.1550	-	-	-	-
					कुल	**0.1900**				

[फा. सं. W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20E/291026]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण –I

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 21st October, 2026

S.O. 5943(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4856 (E) dated the 21 October 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 21 October 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "**Parli – Parbhani Doubling project"** in the District of Parbhani in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News **Paper " Lokmat " "Lokmat Times"&"Dainik Bhaskar"** dated 29 November 2025, under sub section (4) of section 20A of the said Act,

And whereas, in Parbhani village no objections were received and accordingly orders have been passed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E). of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

"Parli – Parbhani Doubling Project" in Parbhani Village of Parbhani District, Under Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Parbhani and Competent Authority for Land Acquisition, Parbhani; for Land Acquisition in the state of Maharashtra.

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project "Parli – Parbhani Doubling project" in the State of Maharashtra.

S. No	Land Acquisition Case No.	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land holding method	Total Area as per 7/12 (H.R)	Acquisition Area (H.R)	ASSETS			Remark
							Well, /Bore	Constructions	Trees	
Village: Parbhani						**Taluka & District: Parbhani**				
1	O.No.2025/LA/RLY/DL/Kavi-563	Registrar, Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University, Parbhani	331	1	2.0400	0.0350	-	-	-	-
2		Registrar, Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University, Parbhani	362	Govt.	2.7700	0.1550	-	-	-	-
					Total	**0.1900**				

[F. No. W.Con.182/SRP-07/PBN-PRLI/23-24/250/20E/291026]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.